दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली.

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 6 जून 2000 को प्रातः 11.30 बजे वरूणालय चरण–2 स्थित सभाकक्ष, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में सम्पन्न हुई 32वीं बैठक का कार्यवृत

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप मेहरा, सी0 ई0 ओ0	सदस्य
4.	श्री प्रहलाद सिंह साहनी, विधायक	सदस्य
5.	श्री बी0 पी0 मिश्रा, अध्यक्ष, नदिनपा	सदस्य
6.	श्री अरविन्द रे, सदस्य (प्र0)	सदस्य

पिछली बैठक की कार्यवृत की पुष्टिः–

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 26 अप्रैल 2000 को सम्पन्न हुई 31वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि कर दी गई।

30वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टः–

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 27 मार्च 2000 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया इसे रिकार्ड में ले लिया गया।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से चर्चाः–

अध्यक्ष महोदया की इच्छानुसार दिल्ली जल बोर्ड की 32वीं बैठक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नीतिगत मामलों और महत्वपूर्ण सूत्रपात से संबंधित प्रस्तुतीकरण पर विचार विमर्श हेतु निर्धारित की गई थी।

इस प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से बागवानी की गतिविधियों, दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति का पुनरूज्जीवन, संस्थागत सुधार, योजना कक्ष का पुनर्गठन, कम्प्यूटरीकरण तथा दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल निकासी परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सहायता की गई। पेयजल के सम्वर्धन यू0 एफ0 डब्ल्यू0 कम करने का कार्यक्रम, मीटरिंग व्यवस्था, पेयजल का साम्ययुक्त वितरण,

भूमिगत जलाशय, पेयजल की गुणवत्ता प्रबन्धन, वर्षा के जल का संचयन, नये कार्यक्रमों सहित मल निकासी व्यवस्था, उपचारित अवजल का पुर्नउपयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा नीतिगत मामलों का प्रस्तुतिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया ।

संकल्प सं0 593 — दिल्ली जल बोर्ड के अन्तर्गत एक समिति की स्थापना तथा
मद सं0 598 — उसे शक्ति प्रदान करना ।

निदेशक (प्र0 एवं का0) के पत्र संख्या 43 दिनांक 6/6/2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पहल पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिल्ली जल बोर्ड के अन्तर्गत निम्न सदस्यों की एक कार्यकारी समिति के गठन और उसे शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव (श0 वि0)	सदस्य
3.	सदस्य (प्रशासन)	सदस्य
4.	बोर्ड के सदस्यों के मध्य से एक सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
5.	बोर्ड के सदस्यों के मध्य से एक सदस्य, दिननि/दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य

सचिव, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर प्रत्येक मामले में रूपये 10 करोड़ तक की वित्तीय सीमा के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय की स्वीकृति, कार्य आबंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्यकारी समिति अधिकृत होगी । मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत निष्पादित कराए गए कार्यो की सूची की जाँच तथा इन्हें रिकार्ड में लेने की शक्ति कार्यकारी समिति को होगी । मुख्य अभियंता और उससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों के मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में तदर्थ/करन्ट डयूटी चार्ज आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु समिति अधिकृत होगी ।

इसके सम्मुख समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे मामलों पर जो वृहद नीतिगत निर्णयो से संबंधित न हो, निर्णय लेने हेतु समा अधिकृत होगी ।

3...

समिति के गैर अधिकारी सदस्यों का नामांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम से किया जाएगा तथा प्रत्येक सदस्य नामांकन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी समिति का सदस्य रहेगा।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान प्रमुख अभियंता, निदेशक (लेखा एवं वित्त) तथा विषय से संबंधित अधिकारी समिति की सहायता करेंगे। सचिव, दिल्ली जल बोर्ड कार्यकारी समिति के आयोजक का भी कार्य करेंगे। समिति की सभी बैठकों की कार्यवाही का विवरण रिकार्ड किया जाएगा।

विचार विमर्श के दौरान सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि:–

समिति के सम्मुख प्रस्तुत मामले से संबंधित अभियंता को समिति द्वारा बुलाया जाएगा। समिति के सम्मुख लम्बित पड़े मामलों पर सलाह देने हेतु समिति द्वारा किसी सलाहकार को बुलाया जाएगा। सदस्य (तकनीक) तथा सदस्य (वित्त) को समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन सदस्यों की नियुक्ति होते ही इन्हें कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

<u>संकल्प सं0 594</u> मध्यम मोटर वाहनों तथा माउण्टेड टैंकरों के माध्यम से
मद सं0 599 पेयजल वितरण हेतु वाहनों को किराए पर लगाना।

मुख्य अभियंता (सिविल) प्रथम के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/पी–21 दिनांक 2.6.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिनांक 1.6.2000 से 31.8.2000 तक प्रतिदिन 12 घण्टे के लिए 500 वाहनों को किराए पर लगाने हेतु रूपये 340 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शीला दीक्षित
अध्यक्ष

अरविन्द रे
<u>सचिव</u>